राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांकः– एफ2(3)लागत/1037/100 दिनांक : 15.6.16

–: परिपत्र :–

मण्ड़ल की समस्त योजनाओं हेतु वर्ष 2016–17 की भूमि एवं विकास दर निर्धारित कर, जुलाई 2016 से जून 2017 तक प्रभावी रखने के उद्देश्य से, उप आवासन आयुक्त एवं समस्त खण्ड के आवासीय अभियन्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30.6.2016 तक समस्त आवासीय अभियन्ताओं द्वारा दर निर्धारित करने हेतु सम्बन्धित दस्तावेजों को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता के माध्यम से निम्न सूचना के साथ लागत प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करावेः–

1– प्रथम बार भूमि एवं विकास दर निर्धारण हेतु भेजे गये भूमि भुगतान एवं विकास मद के अतिरिक्त यदि कोई व्यय किया गया है, उसका विवरण प्रेषित करावें।
2– योजना में अब तक हुई व्यय राशि तथा वर्तमान एवं भविष्य में यदि कोई व्यय करना अपेक्षित हो, तो उसका विवरण प्रेषित करावे। जिसमें वर्ष 2016–17 में प्रावधान लिए जाने के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है, विद्युत एवं पी.एच.ई. खण्ड–कार्यालयों के द्वारा की गई/की जानी वाली व्यय राशि का समावेश सुनिश्चित अवश्य करलें अन्यथा राशि का प्रावधान नही लिए जाने के लिए सम्बन्धित वृत्त/खण्ड अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होगें।
3– पूर्व में प्रेषित विक्रय योग्य क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया है तो, विवरण प्रेषित करावें।
4– बिन्दु संख्या 01 एवं 02 सूचनाओं के अतिरिक्त उक्त योजनाओं का अवशिष्ट विक्रय योग्य क्षेत्र यथा आवासीय, व्यावसायिक का विवरण भी प्रेषित करावे।
5– यदि भूमि एवं विकास दर को स्थिर रखना है अथवा केवल सम्भावित व्ययों के मदों में परिवर्तन करना है तो कारणों सहित सक्षम माध्यम से ही प्रस्तुत करे, ताकि अनावश्यक विलम्ब ना हों।

निम्न आवश्यक विवरण पत्र भी उपलब्ध करावेंः–

(i) Statement of saleable area of scheme.
(ii) Statement of expenditure incurred on land acquisition and development work each sect.
(iii) Statement of already recovered cost.
(iv) Cost of land development.
(v) Land map.
(vi) Statement of land analysis.

यदि सम्भावित व्ययों /वास्तविक व्ययों के आधार पर भूमि एवं विकास दर का निर्धारण नही कराना है तो भी सूचित करावें।

उक्तानुसार सूचनायें दिनांक 30.06.2016 तक लागत प्रकोष्ठ में प्रेषित करना सुनिश्चित किया जावे ताकि प्राप्त दस्तावेजों को जांच आगामी वर्ष 2016–17 की भूमि एवं विकास दर निर्धारित की जा सकें। वर्ष के मध्य में प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर कार्यवाही नही की जावेगी।

यथा समय उचित माध्यम से प्रकरण प्राप्त न होने पर देरी के लिए सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

अध्यक्ष एवं पदेन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, रा.आ.म., जयपुर।
2– मुख्य अभियन्ता/सचिव, रा.आ.म., जयपुर।
3– अति.मु.अभियन्ता, ..., रा.आ.म., ... ।
4– उप आवासन आयुक्त, वृत्त– ...., रा.आ.म., ... ।
5– संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.म., जयपुर।
6– आवासीय अभियन्ता, खण्ड– ...., रा.आ.म., ... ।
7– सहायक लेखाधिकारी वृत्त– ...., रा.आ.म., ... ।
8– सम्बन्धित पत्रावली।
9– रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार